निस्संदेह याचिकाकर्ता की ओर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में कुछ देरी हुई है, लेकिन वह इस छोटे से आधार पर गैर-उपयुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि वर्तमान रिट याचिका में लगाए गए खंड 6 को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है और फिर भी राज्य सरकार 1991 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उक्त खंड को फिर से पेश करने में बनी हुई है।

(नौ) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 5 को एमडी मनोचिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए और जबकि, याचिकाकर्ता को आरक्षित रखी गई सीट के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, संबंधित अधिकारी एक अतिरिक्त सीट का निर्माण सुनिश्चित करेंगे, जिसके खिलाफ प्रतिवादी नंबर 5 को समायोजित किया जाएगा।

(दस)ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को अनुमति दी जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

आर.एन.आर.

आई. एस. तिवाना ए.सी.जे. और जवाहर लाल गुप्ता, जे. के समक्ष

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा U992)2

ओम प्रकाश, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य। प्रतिवादी

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 1991 का 260 ।

26 अगस्त, 1991।

• *पंजाब पुलिस नियम, 1934- 13.7 और 19.22 - लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता - लोअर स्कूल कोर्स में प्रवेश के लिए विचार किए जाने के लिए प्रतिनियुक्ति की तीन साल की अवधि पूरी करना आवश्यक है - अपीलकर्ता इस शर्त को पूरा नहीं करता है - दावा; लोअर पीएचडी में सेवानिवृत्त होने के लिए पाठ्यक्रम पूरी तरह से नियुक्ति की तारीख या सेवा की अवधि पर आधारित नहीं हो सकता है।*

माना गया है कि हमारा विचार है कि इस नियम में एक सक्षम प्रावधान है। यह प्राचार्य को अधिकृत करता है कि वे संस्थान में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में कार्यरत ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को प्रतिनियुक्ति की तीन साल की अवधि पूरी करने के बाद में प्रवेश दें। यह इस शर्त के अधीन है कि प्रिंसिपल पाता है कि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित हैं और कॉलेज में उनकी सेवा संतोषजनक थी। (पैरा 3)

आगे माना गया कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के अलग-अलग जिलों में तैनात होने के कारण उनके बीच कोई सीनियॉरिटी नहीं है। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता को अगस्त, 1988 में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मधुबन में प्रतिनियुक्त किया गया है, ने नियम 19.22 के तहत अपेक्षित तीन वर्षों की अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की थी और इस प्रकार जब प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को भेजा गया था तो वह

लोअर स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त होने के लिए पात्र नहीं था। दावों पर नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। ऐसा किया गया था और अपीलकर्ता केवल इस तथ्य के कारण विफल रहा था कि उसने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मधुबन में सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी नहीं की थी। (पैरा 4)

1. याचिकाकर्ता की ओर से वकील एस. बलहारा।

उत्तरदाताओं के लिए हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट-जनरल डीडी वासुदेव।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे।

(1) पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, मधुबन में एक प्रशिक्षक अपीलकर्ता ने इस शिकायत के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उनसे जूनियर व्यक्तियों *अर्थात* प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को लोअर स्कूल कोर्स के लिए गलत तरीके से प्रतिनियुक्त किया गया था और उनके दावे को अवैध रूप से नजरअंदाज किया गया था। यह पाते हुए कि विभाग की कार्रवाई नियमों के सख्त अनुरूप थी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता इस अपील में आया है।

(2) अपीलकर्ता को 22 अक्टूबर, 1979 को कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था। उन्हें जिला जींद को आवंटित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 5 को 26 अक्टूबर, 1979 को कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था और जिला नारनौल में तैनात

किया गया था। 4 फरवरी 1985 को प्रतिवादी नंबर 5 को पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज मधुबन में प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया था। इसी तरह, प्रतिवादी नंबर 6 को 15 सितंबर 1981 को मधुबन में तैनात किया गया था। इसके विपरीत, अपीलकर्ता को अगस्त 1988 में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मधुबन में प्रशिक्षक के रूप में तैनात किया गया था। मधुबन में प्रशिक्षक के रूप में काम करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को 15 नवंबर, 1990 को शुरू हुए कार्यकाल में लोअर स्कूल कोर्स के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता का दावा है कि वह प्रतिवादी संख्या 5 और 6 से वरिष्ठ है और इसका अधिकार था उनसे पहले इस पाठ्यक्रम के लिए उसे प्रतिनियुक्त किया जाए। वरिष्ठता का दावा इस तथ्य पर आधारित है कि अपीलकर्ता 22 अक्टूबर, 1979 को सेवा में शामिल हुआ था, जबकि प्रतिवादी कुछ दिनों बाद क्रमशः 26 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, 1979 को शामिल हुए थे। इस आधार पर, अपीलकर्ता के वकील श्री आई एस बलहारा ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 5 और 6 से पहले पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने का अधिकार था। यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस नियमों के नियम 19.22 का कोई अनुप्रयोग नहीं था।

(3)विभिन्न जिलों से लोअर स्कूल कोर्स के लिए कांस्टेबलों के चयन और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पुलिस नियमों के नियम 13.7 में निर्धारित की गई है। न तो अपीलकर्ता और न ही प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को संबंधित समय में किसी भी जिले में तैनात किया गया था। उन्होंने प्रतिस्पर्धा नहीं की और पुलिस नियम 13.7 के तहत उनका चयन नहीं किया गया। ये तीनों मधुबन के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात थे। उनके दावे पर नियम 19.22 के प्रावधानों के तहत ही विचार किया जा सकता है। संबंधित नियम नीचे दिया गया है: -

"19.22 पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण।

(एक) प्रिंसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, नियम 19.20 के तहत प्रशिक्षण के लिए जिलों से प्रतिनियुक्त किसी भी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को स्कूल में सेवा के लिए रख सकता है। महानिरीक्षक के अनुमोदन के बिना किसी भी ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक को एक बार में तीन साल से अधिक समय तक स्कूल में सेवा के लिए नहीं रखा जा सकता है, फिर से नियोजित होने से कम से कम एक वर्ष पहले एक अंतराल होता है। प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, फिल्लौर को प्रतिनियुक्ति की तीन साल की अवधि के बाद सीधे लोअर स्कूल कोर्स में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को प्रवेश

करने का अधिकार है, *बशर्ते कि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित हों* और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में उनकी सेवा संतोषजनक हो। (जोर दिया गया)।

हमारा विचार है कि इस नियम में एक सक्षम प्रावधान है। यह प्राचार्य को संस्थान में काम करने वाले ड्रिल और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को प्रतिनियुक्ति की तीन साल की अवधि पूरी करने के बाद लोअर स्कूल कोर्स में प्रवेश देने के लिए अधिकृत करता है। यह इस शर्त के अधीन है कि प्रिंसिपल पाता है कि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित हैं और कॉलेज में उनकी सेवा संतोषजनक थी। इस नियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानाचार्य ने उत्तरदाता संख्या 5 और 6 को लोअर स्कूल कोर्स में प्रवेश दिया था, जो नवंबर, 1990 में शुरू हुआ । उन्होंने फरवरी, 1988 और सितंबर, 1984 में तीन वर्ष की सेवा पूरी की थी। संबंधित समय पर, अपीलकर्ता ने सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी नहीं की थी। नतीजतन, वह पात्र नहीं था। इस प्रकार, हम अपीलकर्ता का चयन न करने में प्रिंसिपल की कार्रवाई में कोई कमी नहीं पाते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अकाट्य है।

(4) श्री बलहारा का तर्क है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 5 और 6 से वरिष्ठ था। यह दावा पूरी तरह से निरंतर नियुक्ति की तारीख पर आधारित है । अपीलकर्ता और प्रतिवादी 5 और 6 अलग-अलग जिलों में तैनात हैं। उनकी इस प्रकार की कोई पारस्परिक वरिष्ठता नहीं है। किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ता

को अगस्त, 1988 में पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मधुबन में प्रतिनियुक्त किया गया था, उसने नियम 19.22 के तहत आवश्यक तीन साल की अपेक्षित सेवा पूरी नहीं की थी और इस प्रकार वह लोअर स्कूल कोर्स में प्रतिनियुक्त होने के लिए पात्र नहीं था, जब प्रतिवादी 5 और 6 को भेजा गया था। दावों को नियमों के अनुसार माना जाना चाहिए। यह किया गया था और अपीलकर्ता केवल इस तथ्य के कारण विफल रहा था कि उसने पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मधुबन में सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी नहीं की थी।

(5) श्री बलहारा का यह भी तर्क है कि नियम 19.22 का कोई प्रभाव नहीं है। यह तर्क इस आधार पर है कि नियम "स्कूल" शब्द का उपयोग करता है, जबकि हरियाणा में, केवल एक पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज है। माना जाता है कि पूरे हरियाणा राज्य में केवल एक संस्थान है जहां लोअर स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान, चाहे कॉलेज या स्कूल के रूप में नामित हो, एकमात्र ऐसा संस्थान है जिस पर नियम 19.22 के प्रावधान लागू होते हैं। इसलिए, हमें इस विवाद का कोई आधार नहीं मिलता है कि नियम का प्रावधान आकर्षित नहीं है। यहां तक कि अगर हम यह मान लें कि नियम 19.22 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं, तो अपीलकर्ता के हित को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उस स्थिति में, वह किसी भी प्रावधान के तहत विचार या प्रतिनियुक्त किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(6) इस प्रकार हमें इस अपील में कोई दम नजर नहीं आता जिसे खारिज किया जाता है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों में, हम पार्टियों को छोड़ देते हैं - अपनी लागत खुद वहन करने के लिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर

आर.एन.आर.

जय सिंह सेखों से पहले, जे।

अनिल के. मेहरा और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हंस राज - उत्तरदाता।

आपराधिक मिस। नहीं। 1990 का 13631-एम।

29 अगस्त, 1991।

1 अप्रैल, *1989 से 1988 के अधिनियम* 66 *द्वारा प्रतिस्थापित* निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, *1881* - धारा 138 और 142 - *प्रतिस्थापित एस के लागू होने के बाद अपर्याप्त धन की कमी के कारण टिप्पणी के साथ अनादरित* चेक व्यवस्था से अधिक है। 1 *अप्रैल,* 1989 *से शिकायत* संख्या *138 दर्ज की गई।*